

61

F. No. 14039/32/2013-UTS.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
UTS-I Desk

North Block, New Delhi-110001
Dated the 22 May, 2013

To
Sh. Radhey Shyam Singh,
R/o WZ, 717, Nagal Rai,
New Delhi-110046,

Sub: Application under RTI Act, 2005-Regarding

Sir,

Please refer to your application dated 11.03.2013 transferred through Under Secretary (DP-II) & CPIO, MHA, for providing reply on point no (1),(2) & (3), it is informed that the information sought pertain to Delhi police and the application is forwarded to them for providing relevant reply directly to the applicant

2. The designated 1st Appellate Authority against this decision is as follows

Shri K. K. Pathak
Joint Secretary (UT)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi-110001

Yours faithfully,




(S. K. Jain)
Director (S) and CPIO

Copy forwarded to:

RTI application of Sh. Radhey Shyam Singh is transferred u/s 6(3) of RTI Act 2005, to CPIO, PHQ, Delhi Police, I.P Estate, New Delhi-110002 with the request to furnish the information directly to the applicant

Sig	AM	D
Date	23/5/13

o/c


(S. K. Jain)
Director (S) and CPIO

O/o Director (Services)MHA सं. 14036/268/2013-यू टी पी
Dy. No. 2167 भारत सरकार
Date 23/4/13 गृह मंत्रालय

मोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 23/4/13

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राधे श्याम सिंह द्वारा मांगी गई सूचना।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 11.3.2013 के उक्त आर टी आई आवेदन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है।

2. चूंकि उक्त आर टी आई आवेदन के बिंदु सं. 1, 2 और 3 गृह मंत्रालय के यू टी एस अनुभाग से संबंधित हैं और बिंदु सं. 4, 5, 6 और 7 दिल्ली पुलिस से संबंधित हैं, अतः इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने तथा सूचना सीधे उक्त आवेदक को मुहैया कराने के लिए उनको अंतरित किया जा रहा है।

3. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

[स. सुधा]

(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष-23092856

S/23.4
50/6/55
24/4
a jay

सेवा में

1. श्री एस.के. जैन, निदेशक, सेवा, गृह मंत्रालय।
2. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. श्री राधे श्याम सिंह, निवासी इट्यू जेड 717, नांगल राय, नई दिल्ली-110046



सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, नार्ब @लाल
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली - 110001

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्रीमान्,

कृप्या निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें :-

1. क्या दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी से लेकर अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी किसी पद/स्थान पर कितने समय तक पदास्थापित रह सकते हैं इस संबंध में कोई नियम है? यदि है तो प्रति प्रदान करें।
2. अगर कोई नियम है तो क्या वो नियम दिल्ली पुलिस की अनुज्ञापन शाखा (लाईसेन्स) पर लागू होते हैं ?
3. क्या श्री मधूप तिवारी अतिरिक्त आयुक्त व श्रीमती वर्षा शर्मा अतिरिक्त उपायुक्त तय सीमा से अधिक समय से लाईसेन्स ग्रॉच में पदास्थापित हैं? यदि हाँ तो कृप्या बतायें कब से और किस नियम के तहत ? कृप्या नियम की प्रति प्रदान करें।
4. कौन अधिकारी आग्नेयास्त्र के लाईसेन्स देने के लिए अधिकृत हैं?

RTI

US (08/12)

5. क्या जिला अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त केवल सलाह देते हैं या वो हथियार लाईसेन्स देने के लिए अनुशंसा करते हैं और क्या उनकी सलाह व अनुशंसा बाध्यकारी है अनुज्ञापन शाखा के लिए?
6. कितने मामलों में 1 जनवरी 2011 से लेकर 15 मार्च 2013 तक अतिरिक्त आयुक्त अनुज्ञापन शाखा ने हथियारों के लाईसेन्स प्रदान कर दिये जब कि जिला अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त दिल्ली पुलिस ने लाईसेन्स न देने की सलाह/अनुशंसा की थी? क्या अतिरिक्त आयुक्त (अनुज्ञापन शाखा) के पास इस सन्दर्भ में कोई विशेष अधिकार हैं?
7. अनुज्ञापन शाखा दिल्ली पुलिस में कार्य वितरण का आधार क्या है? कोई अधिकारी कितने समय तक एक ही पद पर कार्य कर सकता है?

भारतीय पोस्ट आर्डर संख्या 08 एफ.773994 मूल्य रुपये 10/-
साथ में संलग्न है।

दिनांक 11.03.2013



आवेदक
R. S. Singh
राधे श्याम सिंह
निवासी डब्ल्यू जेड 717
नांगल राय, नई दिल्ली-110046